

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 40 अ-82/19-20/पचधार/12839 बैतूल दिनांक 3.12.2019
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल ।

विषय:- ग्राम पचधार तहसील मुलताई के भू-अर्जन प्रकरण में
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत मौजा पचधार तहसील मुलताई की पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(तेजस्वी एस. नायक)
कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
बैतूल दिनांक 3 -12-2019

पृ0क्र0 40 अ-82/2019-20/12839
प्रतिलिपि:-

1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) मुलताई को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे ।

2-- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।

3-- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,

4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।

5- तहसीलदार मुलताई को प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

6- सम्बंधित ग्राम पंचायत पचधार तहसील मुलताई को प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



कलेक्टर एवं
भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

प्ररूप "ख"

02

(नियम -5 देखिए)

साभाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- (1) परियोजना विकास का नाम :- पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना
- (2) लोक प्रयोजन :- पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली में इंटेक वेल, एप्रोच रोड एवं सिपेज ड्रेन निर्माण
- (3) स्थल :- पचधार
- (4) परियोजना का क्षेत्र :- 19785 हे.
- (5) विकल्प जिन पर विचार किया गया :- यह भूमि नहर प्रणाली , इंटेक वेल एवं एप्रोच रोड के लिये अति उपयुक्त है एवं शासकीय व्यय कम आने की संभावना है ।
- (6) परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
- (7) परियोजना निर्माण के चरण :- प्रथम/अंतिम चरण
- (8) परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे:- प्रकरण में नक्शा संलग्न है।
- (9) परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि :- 1400.594 हे.
- (10) भूमि का मूल्य ग्राम पचधार :- 3,04,000/-प्रति हे.(सिंचित),1,52,000/- प्रति हे.(असिंचित)
- (11) प्रभावित परिवारों की संख्या :- 0
- (12) परिसंपत्तियां - लोक सम्पत्ति - भूमि निरंक भवन निरंक अन्य निजी सम्पत्ति - भूमि 1.198 हे. भवन निरंक अन्य
- (13) विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई - ग्राम:- पचधार परिवारों की संख्या:- 0
- (14) सामाजिक समाघात
 - (क) समाघातों का विवरण:- निष्कर्ष में उल्लेखित है ।
 - (ख) समाघातों की संकेतक सूची :- निरंक।
- (15) विकल्प जिन पर विचार किया गया:-
 - (क) यदि हां- तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?:- लोक प्रयोजन हेतु ।
 - (ख) यदि नहीं- तो क्यों ? :- निरंक।
- (16) निष्कर्ष:-
 - (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
 - (2) प्रभावित भूमि के अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
 - (3) परिसम्पत्तियों के मुआवजा के संबंध में प्रचलित विधो/ नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी
 - (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
 - (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
 - (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।
 - (7) पर्यावरण पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा आवेदक विभाग वनीकरण हेतु आवश्यक उपाय करेगा ।

(डिप्टी कलेक्टर)

बैतूल (अध्यक्ष)

(नितिन राळे)

श्री मुरारी अग्रवाल
व्यवसायिक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित
व्यक्ति (सदस्य)

उपवन मंडलाधिकारी
मुलताई (सदस्य)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
प्रभात पट्टन (सदस्य)